

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी / कोलो. / 1835 / 2004 / बीकानेर गिरदावरी व अन्य बनाम गणेशाराम व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकल पीठ</b> <b>श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित</b> श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी। अप्रार्थी व अप्रार्थीगण अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b> <b>दिनांक:- 16.12.2025</b></p> <p>प्रार्थीगण द्वारा यह नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत निगरानी कोलो. संख्या 38/99 में मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस नजरसानी प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।</p> <p>योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में नजरसानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नजरसानीधीन निर्णय दिनांक 16.01.2004 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। नजरसानीधीन निर्णय में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली त्रुटि है। माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं थी। अपीलीय न्यायालय को ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं था और इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय को अप्रार्थी संख्या 1 की अपील को अस्वीकार कर देना चाहिए था। माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय में यह बिन्दु अनिर्णित रहने से माननीय मण्डल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कानूनी त्रुटि है। अपील प्रस्तुत किए जाने की दिनांक को आवंटी जीताराम जिंदा नहीं था। जीताराम के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील का प्रस्तुतीकरण ही सही नहीं था। डिफेक्टिव अपील को स्वीकार करने का अधिकार अपीलीय न्यायालय को नहीं था। साथ ही आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र केवल दौराने अपील मृत्यु होने पर ही प्रस्तुत होने पर ही लागू होता है न कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने पर</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी / कोलो. / 1835 / 2004 / बीकानेर गिरदावरी व अन्य बनाम गणेशाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपीलीय न्यायालय ने निर्णय जीताराम आवंटी के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है जो अपील उनके समक्ष संधारण योग्य नहीं थी उसको स्वीकार कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। अपीलीय न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को बिना किसी आधार के प्रार्थीगण के आवंटन के पूर्व में ही आवंटन किया जाना मानकर कानूनी त्रुटि कारित की थी। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण को आवंटनशुदा भूमि दिनांक 29.09.93 व उसके आसपास विनिमय में दी गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 को यह भूमि प्रार्थीगण इस भूमि के पूर्व में ही आवंटी होने के कारण विनिमय में नहीं दी जा सकती थी। वरवक्त बहस निगरानी सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्रगढ़ का पत्र संख्या 1072 जो इस नजरसानी के साथ संलग्न किया जा रहा है जो प्रार्थीगण वरवक्त बहस निगरानी यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके, अगर सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्रगढ़ का यह पत्र वरवक्त बहस उपलब्ध होता तो माननीय न्यायालय का यह निर्णय कि अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि पूर्व में ही आवंटन हो चुकी थी नहीं होता। चूंकि प्रार्थीगण को इस पत्र की जानकारी नहीं थी इस कारण यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 को विनिमय की जानकारी होने से पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर नजरसानी के साथ प्रस्तुत कर रहा है। केवल मात्र धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब एवं काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने मात्र से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलीय न्यायालय का यह देखना था कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिए गए कारण पयाप्त है या नहीं। माननीय मण्डल न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किए जाने कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय मण्डल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2004 को निरस्त किया जावे।</p> <p>हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं विपक्षी संख्या 3 एवं विपक्षी संख्या 5</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी / कोलो. / 1835 / 2004 / बीकानेर गिरदावरी व अन्य बनाम गणेशाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>लगायत 8 के पिता के पक्ष में राज0 उपनिवेशन (इ0गां0न0प0 क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 के तहत चक 11 के.जे.डी. के मुरब्बा संख्या 143/7 के किला संख्या 12 में 2 बीघा, 9 ता 12 में 4 बीघा एवं 19 ता 22 में 4 बीघा कुल 10 बीघा भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्रगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 09.08.90 के द्वारा आवंटित की गई। उक्त आवंटन के विरुद्ध विपक्षी संख्या 1 द्वारा मियाद बाहर प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.03.99 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का आवंटन निरस्त किया तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने से पूर्व ही प्रार्थी जीताराम का स्वर्गवास हो गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की। जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2004 द्वारा खारिज कर दिया। मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध यह नजरसानी प्रार्थना पत्र मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।</p> <p>नजरसानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये हैं उस संबंध में मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से विवेचन, विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है। मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय विधिसम्मत है जिसमें नजरसानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>यह निर्विवाद स्थिति है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र मात्र निम्न आधारों पर ही स्वीकार किया जा सकता है –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरान्त नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी जो कि पूर्व में सम्यक् तत्परता के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे, या</li> <li>2. ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या</li> <li>3. अन्य किसी पर्याप्त कारण के आधार पर</li> </ol>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी / कोलो. / 1835 / 2004 / बीकानेर गिरदावरी व अन्य बनाम गणेशाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये है, उनके बाबत इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के तो हो सकते हैं किन्तु वे नजरसानी स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते है। नजरसानी की आड में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। एकलपीठ ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन व पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही गुणावगुण पर आलोच्य आदेश पारित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जाना संभव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। जैसा कि— ए आई आर 1995 एस सी पेज 455, 2005 (1) आर आर टी 545 एस सी सहित न्यायिक दृष्टान्तों की एक श्रृंखला है, जिनमें यह अवधारित किया गया है कि नजरसानी का प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकता है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर आर डी 2010 पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—</p> <p><i>“(a) Hon’ble Supreme Court and the Hon’ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and it cannot be utilized as an instrument for re-writing the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.</i></p> <p><i>(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same court. The scope permits only to correct the mistakes which are apparent on the face of the record. Hon’ble</i></p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी / कोलो. / 1835 / 2004 / बीकानेर गिरदावरी व अन्य बनाम गणेशाराम व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p><i>Supreme Court in Smt. Meera Bhanja Vs. Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455 clearly held that the error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The courts are not supposed to re-appreciate the evidence but only restrict themselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record. In Ajit Kumar Rath Vs. Orissa State AIR 2000 SC 85, the Hon'ble Apex Court has held that the power is not absolute and it is subject to restrictions indicated in Order 47 CPC. A review cannot be claimed as a remedy for a fresh hearing or for correction of an erroneous view taken earlier.</i></p> <p><i>(c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face without any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the record is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is distinct from erroneous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdiction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. Hon'ble Supreme Court in State of Haryana Vs. Mohinder Singh 2003 (I) WLC (SC) page 499 considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here:- "Civil Procedure Code O.47 Rule 1- Scope- Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of- High Court in hearing review as if it was rehearing whole petition overstepped its limits- Order of High Court set aside and original order restored."</i></p> <p>2005(1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी / कोलो. / 1835 / 2004 / बीकानेर गिरदावरी व अन्य बनाम गणेशाराम व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—</p> <p><i>that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.</i></p> <p>इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आरबीजे (12) पेज 290 में यह अभिनिर्धारित किया है कि—</p> <p><i>“The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between ‘an erroneous decision’ and ‘an error apparent on the face of the record.’ While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise.”</i></p> <p>यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिब्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बउनवान सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल, 2004 में भी प्रतिपादित किया गया है, जो आरआरटी 2005 (1) पेज 545 पर उद्धरित है।</p> <p>इस प्रकार इस प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने पारित आदेश में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि प्रकट नहीं की गई है जिससे इस नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकें। अपने नजरसानी निगरानी प्रार्थना पत्र में</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी / कोलो. / 1835 / 2004 / बीकानेर गिरदावरी व अन्य बनाम गणेशाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>वर्णित तथ्यों एवं मूल निगरानी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में महज विवेचन कर दिये जाने से यह अधिकार प्रतिपादित नहीं होता है कि वह सभी सही है, जब तक कि उनको अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात / रिकार्ड से पुष्ट नहीं कराया जावे । मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 16.01.2004 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपलब्ध रिकार्ड का आध्योपांत अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत विस्तृत रूप में निर्णय पारित किया गया है जिसमें नजरसानी के माध्यम से इस स्तर पर माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिपादित अभिमतों के प्रकाश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । हमारी सुविचारित राय में प्रकरण की तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः पारित आदेश में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है।</p> <p>परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रमाणित प्रति निगरानी पत्रावली में संलग्न की जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( भवानी सिंह पालावत ) सदस्य</p>	